सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

Siddharth University, Kapilvastu, Siddharthnagar

प्रवेश निर्देशिका

(शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए)

Admission Brochure

(For the Academic Session 2019-20)

प्रवेश परीक्षा–2019 (स्नातक / परास्नातक पाठ्यक्रम)

(सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं सीटें)

कमाक	कक्षा / पाठ्यकम	पाठ्यकम सचालन का स्थल	निर्धारित सीट
1	बी0काम0	विश्वविद्यालय परिसर	120
2	बी0एस–सी0 (कृषि)	चौधरी चरण सिह महाविद्यालय, पद्मापुर, पाण्डवनगर, बस्ती मे	240
		विमला विकम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पचपेडवा, बलरामपुर मे	120
		डा0 राम मनोहर लोहिया, महाविद्यालय, इटवा, सिद्धार्थनगर	120
3	एम0काम0	विश्वविद्यालय परिसर	60
4	एम0ए0 (हिन्दी)	विश्वविद्यालय परिसर	60
5	एम0ए0 (अर्थशास्त्र)	विश्वविद्यालय परिसर	60

विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेश के सामान्य नियम

(विश्वविद्यालय परिसर एव महाविद्यालय)

1 महाविद्यालय प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि सम्बन्धित महाविद्यालय की उक्त विषय/ पाठ्यकम मे सम्बद्धता प्राप्त है।

2 महाविद्यालयो मे विभिन्न पाठ्यकमो मे विश्वविद्यालय से स्वीकृत छात्र सख्या पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

3 बी0ए0 मे केवल एक प्रायोगिक विषय ही छात्र/ छात्रा द्वारा चयनित किया जा सकता है एक से अधिक प्रायोगिक विषयो का चयन अनुमन्य नही होगा।

4 अल्पसख्यक महाविद्यालयो मे प्रवेश शासनादेश सख्या–2651/सत्तर–2–2003–16 |92 |/2002 दिनाक 02 जुलाई, 2003 के अनुरूप होगे।

5 प्रत्येक पाठ्यकम (स्नातक/स्नातकोत्तर) के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा तथा प्रत्येक पाठ्यकम मे विद्यार्थियो की सख्या पूर्व निर्धारित है।

6 सभी सकायो मे निम्नलिखित अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज कन्सिडरेशन) देय होगा–

(I) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयो से योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रो के लिए 2 प्रतिशत।

(II) स्नातकोत्तर कक्षाओ मे प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय आवासीय खण्ड से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियो को 5 प्रतिशत।

(III) महिला अभ्यर्थियो के लिए 2 प्रतिशत।

(IV) एन सी सी मे 'बी' अथवा 'सी' सर्टिफिकेट प्राप्त छात्र/छात्राओ के लिए 2 प्रतिशत।

(V) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एव कम से कम एक विशेष शिविर मे भाग लेने वाले अभ्यर्थियो को 2 प्रतिशत। प्रमाण पत्र कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही यह देय होगा।

(VI) स्काउट/रोवर्स रेन्जर्स का अधिप्रतिनिधित्व नियामानुसार अनुमन्य होगा।

(VII) सेवा निवृत्त/मृतक शिक्षको एव शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के अविवाहित पुत्र/पुत्री एव पत्नी/पति को प्रवेश मे अधिकतम अधिप्रतिनिधित्व सभी मानको को मिलाकर 10 प्रतिशत अनुमन्य है।

(VIII) सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयो के शिक्षको/शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के पाल्यो को स्नातक एव स्नातकोत्तर कक्षाओ मे 10 प्रतिशत का अधिप्रतिनिधित्व अमुमन्य होगा।

टिप्पणी उपयुक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नही जुडेगा। किसी अभ्यर्थी को किन्ही दो छूटो के आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक अधिप्रतिनिधित्व देय नही होगा। 6 (VII) एव 6 (VIII) के लिए यह अधिभार सीमा 10 प्रतिशत होगी।

7 राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद मे स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यथियो के लिए प्रत्येक कक्षा मे कोटा निर्धारित है। इसके अर्न्तगत प्रवेश कुलपति जी की सहमति से होगा। अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र मे निर्दिष्ट स्थान पर इगित करे। बाद मे कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खिलाडी जो खेलकूद के आधार पर प्रवेश लेने के इच्छुक है उस अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

राज्य/राट्रीय स्तर पर खेलकूद मे स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियो के लिए विभिन्न सकायो तथा विभागो मे स्थान निर्धारित है जो निम्नवत् है–

अ **वाणिज्य** स्नातक 03

8 **आरक्षण** नवीन शासनादेशो के अधीन होगा (केवल विश्वविद्यालय केन्द्र एव सम्बन्द्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय के लिए)

(अ) ऊर्ध्व आरक्षण (केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियो (Domicile) के लिए)

1	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	2 प्रतिशत
3	अन्य पिछडा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नही है)	27 प्रतिशत
4	एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) मे महिला अभ्यार्थियो के लिए	20 प्रतिशत
5	अति निर्धन सवर्ण	10 प्रतिशत

इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/तहसीलदार का अद्यतन अधिवास (Domicile) प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा, अन्यथा आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नही होगी। अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियो के लिए आवश्यक है कि उनके जाति प्रमाण पत्र अद्यतन हो तथा राज्य सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमीलेयर मे न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो। अग्रेत्तर सूच्य है कि प्रवेश के समय शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन् शासनादेशो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ब) **क्षैतिज आरक्षण** .

1	शारीरिक रूप से विकलाग	3 प्रतिशत
2	स्वतन्त्रता सग्राम सेनानियो के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र/पौत्री/प्रपौत्री)	2 प्रतिशत
3	भूतपूर्व सैनिक एव युद्व मे शहीद, युद्व मे अपग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य	2 प्रतिशत
4	करगिल युद्व मे शहीद रक्षा कर्मी के आश्रित	1 प्रतिशत
5	कश्मीर विस्थापित	5 प्रतिशत
6	कार्यरत सैनिक एव उनके पाल्य (पुत्र/पत्नी/पुत्र/पुत्री)	1 प्रतिशत

अग्रेत्तर सूच्य है कि शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशो के अनुसार कार्रबाई की जायेगी।

(स) शासनदेश सख्या कार्मिक अनुभाग–2 सख्या–3/2019/4/12002/का–2/19 टी0 सी0–।। दिनाक 14 मार्च, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियो (UP Domicile) के लिए अनुमन्य होगा।

(द) **अधिसख्य (सुपरन्यूमरी) आरक्षण**

1 विश्वविद्यालय मे कार्यरत शिक्षको एव कर्मचारियो के पाल्य (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) के स्नातक स्तर की कक्षाओ मे प्रवेश के लिए आरक्षण कुल निर्धारित सख्या का 10 प्रतिशत है तथा किसी भी पाल्य का प्रवेश बिना परीक्षा मे सम्मिलित हुए नही किया जायेगा। यह प्रवेश आरक्षण नियमो के तहत होगा, कुल स्थान के अन्तर्गत और विषय सयुक्तियॉ उनके प्रवेश परीक्षा के अको के आधार पर मिलेगी।

2 विश्वविद्यालय परिसर मे कार्यरत शिक्षको एव कर्मचारियो के पाल्यो को स्नातकोत्तर कक्षाओ मे प्रवेश हेतु आरक्षण कुल निर्धारित सीट का 5 प्रतिशत है तथा किसी भी पाल्य का प्रवेश बिना प्रवेश परीक्षा मे सम्मिलित हुए नही किया जायेगा (जिस पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा)।

टिप्पणी .

1 नीचे दी गई तालिका मे प्रमाणपत्र के सम्मुख अकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा जिसे प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र	सक्षम अधिकारी
(अ) जाति प्रमाण पत्र(अ जा /अ ज जा /अ पि)	जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी /तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
(ब) विकलाग प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
(स) स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
(द) प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र	जिला सैनिक अधिकारी
(य) विश्वविद्यालय के शिक्षको एव कर्मचारियो के पाल्य	कुलसचिव
(र) सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक एव कर्मचारियो के पाल्य	प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय एव क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(ल) कश्मीर विस्थापित व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी

2 विश्वविद्यालय के सम्बन्धित सकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से अर्ह प्रवेशार्थियो की सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद सम्बन्धित प्रवेशार्थी सकाय/विभाग की प्रवेश समिति के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्रो (इसमे अन्तिम शिक्षण सस्था के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी सम्मिलित है) के साथ प्रस्तुत होगे तथा सम्बन्धित अधिकारी से प्रवेश पत्र प्राप्त करेगे और निर्दिष्ट तिथि के अन्तर्गत स्टेट बैक आफ इडिया की विश्वविद्यालय शाखा मे शुल्क जमा करके अपना प्रवेश लेगे। शुल्क जमा करके एक सप्ताह के अन्दर सकाय/विभाग के छात्र पजिका मे अपना नाम अकित करा लेगे अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

3 कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय का नियमित छात्र उस तिथि से माना जायेगा, जिस दिन उसने प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात सम्बन्धित सकाय/विभाग के छात्र पजिका मे अपना नाम अकित करा लिया हो।

4 प्रवेश समिति किसी भी व्यक्ति का प्रवेश बिना कारण बताये हुए निरस्त कर सकती है।

5 योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तीन वर्ष से अधिक अन्तराल की दशा मे किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश नही होगा। एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत एव दो वर्ष के अन्तरात 7 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर 10 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त प्रवेश लिया जायेगा। सेवारत सैन्य कर्मियो तथा भूतपूर्व सैनिको के प्रवेश मे यह नियम लागू नही होगा।

6 विश्वविद्यालय की किसी कक्षा की परीक्षा मे सम्मिलित हो जाने पर अथवा असफल रह जाने या रोके जाने पर किसी छात्र को विश्वविद्यालय की उस कक्षा मे पुन प्रवेश नही मिल सकेगा। **परीक्षा मे सम्मिलित/असफल छात्रों को भूतपूर्व छात्र होने की सुविधा उपलब्ध है।**

7 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी सकाय के प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेने के उपरान्त परीक्षा मे अनुत्तीर्ण हो जाते है या परीक्षा छोड देते है या परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन नही करते है तो उन्हे दूसरे सत्र मे उसी कक्षा/सकाय

मे पुन सस्थागत प्रवेश नही दिया जायेगा। लेकिन यदि वे किसी दूसरे कक्षा/सकाय मे प्रवेश हेतु **आवेदन करते है तो शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। परन्तु ऐसे छात्र/छात्रा वर्ष अन्तराल के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय मे छात्रसंघ चुनाव लड़ने के लिए अर्ह नही होगे।**

8 ऐसे अभ्यर्थी जो बी0 ए0 तृतीय वर्ष के दो विषयो मे से किसी एक विषय से एम0 ए0 प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेने के उपरान्त परीक्षा मे अनुत्तीर्ण हो जाते है या परीक्षा छोड देते है या परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन नही करते है तो अगले सत्र मे उन्हे दूसरे विषय से एम0 ए0 प्रथम वर्ष मे सस्थागत प्रवेश नही दिया जायेगा।

9 विश्वविद्यालय परिसर की किसी कक्षा मे किसी महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश नही होगा। यह प्रवेश महाविद्यालयो मे लिया जा सकता है।

अर्हता

1 स्नातक वाणिज्य/कृषि मे प्रवेश हेतु वर्ष 2016 या उसके बाद की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होगे। अनारक्षित एव अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यथियो के योग्यता प्रदायी परीक्षा मे 40 प्रतिशत अक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वर्ष 2019 मे इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा मे सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते है।

2 वर्ष 2016,2017,2018 मे योग्यता प्रदायी (इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष) परीक्षा मे उत्तीर्ण अभ्यथियो के कुल प्राप्त अको मे नियामानुसार अधिकतम अक कमश 10, 7 एव 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

3 जिन अभ्यर्थियो ने वर्ष 2019 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हे उपर्युक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र अथवा सतोषजनक साक्ष्य प्रवेश हेतु काउन्सिलिग के समय प्रस्तुत करना होगा।

4 प्रवेश सम्बन्धी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट **http://sidunikapilvastu.edu.in** पर देखे।

5 प्रवेश परीक्षा मे अनारक्षित वर्ग के कम से कम 35 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत एव अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत अक पाने पर ही श्रेष्ठता कम के अनुसार उनके प्रवेश पर विचार किया जायेगा।

चयन प्रकिया व प्रवेश

1 न्यूनतम अर्हता वाले प्रवेश परीक्षा मे अर्ह पाये गये अभ्यर्थियो का अस्थाई प्रवेश उनके परीक्षा के प्राप्ताक अनुमन्य अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के आधार पर निर्मित सूचकाक श्रेष्ठताकम एव उपलब्ध सीटो के आधार पर आरक्षण नियमो के अनुसार होगा।

2 विश्वविद्यालय इसी सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को समाचार पत्रो तथा वेबसाइट (**http://sidunikapilvastu.edu.in**) के माध्यम से सूचित करेगा।

3 प्रवेश के समय अभ्यर्थी को विभागीय/महाविद्यालय की प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल प्रमाण पत्रो (अक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिप्रतिनिधित्व प्रमाण–पत्र, विकलाग/भूतपूर्व सैनिक/ स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी आश्रित/कश्मीर विस्थापित/कारगिल, विकलाग प्रमाण–पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/अन्तिम सस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, आदि) एव उनकी स्वहस्ताक्षरित एव सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। जो अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य बोर्ड /सस्थाओ से उत्तीर्ण है (यथा–सी बी एस ई ,आई सी एस ई तथा बिहार बोर्ड) उन्हे उपर्युक्त किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव मे प्रवेश देना सभव नही होगा।

4 प्रवेश के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, एतदर्थ प्रवेश पत्र को सम्भाल कर रखे।

5 चयनित अभ्यर्थियो को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एव स्थान पर काउन्सिलिग व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश हेतु उपस्थित होकर अपने समस्त आवश्यक मूल अभिलेखो के सत्यापन के पश्चात् प्रवेश कार्ड प्राप्त कर लेना होगा निर्धारित प्रवेश शुल्क की सूचना अभ्यथियो को यथा समय दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को प्रवेश नही लेता है तो प्रवेश हेतु उसका चयन स्वत निरस्त हो जायेगा।

6 चयनित अभ्यर्थी को आवश्यक शुल्क जमा करके सम्बन्धित सकाय कार्यालय एव विभाग मे अपना नाम पजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

7 किसी भी सवर्ग (Category), उपवर्ग (Sub-Category) या भाराक (Weightage) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय मूल रूप से अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी प्रवेश से वचित हो जायेगा। बाद मे किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नही होगा।

8 अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने मे **किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेवार नही होगा।**

9 किसी भी दशा मे एक **पाठ्यक्रम मे पंजीकृत आवेदन पत्र दूसरे पाठ्यक्रम मे स्थानान्तरित नही किया जायेगा।**

10 अभ्यर्थी को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक वाद नही है तथा भविष्य मे अगर कोई एफ आई आर दर्ज होगा तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।

11 आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित आवेदन पत्र मे बाद मे कोई भी परिवर्तन सवर्ग(Category), उपवर्ग (Sub- Category) आदि मे नही किया जायेगा।

12 प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त मूल प्रमाण पत्र को प्रवेश हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति मे प्रवेश हेतु चयन स्वत निरस्त हो जायेगा।

13 विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है।

14 अभ्यर्थी को 6 माह के भीतर का जाति प्रमाण–पत्र एव अर्हतादायी परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद का चरित्र प्रमाण–पत्र अवश्य लाना होगा।

15 प्रवेश परीक्षा मे शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र (Admit card) अभ्यर्थी को स्वत इण्टरनेट से डाउनलोड करना होगा।

16 विभिन्न विषयो की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

17 प्रवेश पजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस नही होगा।

18 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र/अभिलेख प्रवेश परीक्षा समाप्त होने की तिथि से केवल 6 माह तक ही सुरक्षित रखा जायेगा।

19 विश्वविद्यालय परिसर एव बी0एस0–सी0 (कृषि) मे प्रवेश हेतु आवेदनपत्र केवल विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भरा जायेगा। सम्पूरित आवेदन पत्र की प्रति विश्वविद्यालय को भेजना नही है। छात्र सम्पूरित आवेदन पत्र की प्रति मय चालान सहित अपने पास सुरक्षित रखेगा। प्रवेश के समय प्रवेश हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

कृषि सकाय

(Faculty of Agriculture)

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर परिसर मे कृषि सकाय नही है वर्तमान मे तीन महाविद्यालय चौधरी चरण सिह महाविद्यालय, पद्मापुर, पाण्डवनगर, बस्ती, विमला विक्रम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पचपेडवा, बलरामपुर एव डा0 राम मनोहर लोहिया, महाविद्यालय, इटवा, सिद्धार्थनगर ही इस विश्वविद्यालय के कृषि सकाय मे है।

स्नातक स्तर– यह चार वर्षीय पाठ्यक्रम है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष मे सात–सात विषयो का पठन–पाठन होता है। प्रवेश विश्वविद्यालय स्तर पर ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। चौधरी चरण सिह महाविद्यालय, पद्मापुर, पाण्डवनगर, बस्ती मे 240 सीट तथा विक्रम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पचपेडवा, बलरामपुर मे 120 सीटे एव डा0 राम मनोहर लोहिया, महाविद्यालय, इटवा, सिद्धार्थनगर मे 120 सीटे है।

अर्हता– इण्टरमीडिएट (कृषि) इण्टरमीडिएट (विज्ञान–जीव विज्ञान या गणित वर्ग) या समकक्ष।

प्रवेश– प्रवेश की प्रकिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के द्वारा सम्पन्न की जायेगी। **कुल स्वीकृत सीटो के दो गुने से अधिक प्रवेश फार्म आने पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी अन्यथा की स्थिति मे योग्यता प्रदायी के प्राप्ताको (मेरिट बनाकर) के आधार पर नियमानुसार प्रवेश किये जायेगे।**

नोट:–सभी पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर लिया जायेगा, क्योकि सिद्वार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्वार्थनगर की अधिसूचना मे उल्लेख है कि जब तक इस विश्वविद्यालय का अपना परिनियमावली एवं अध्यादेश तैयार नही हो जाता है, तब तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की परिनियमावली व अध्यादेश लागू होंगे।

प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रवेश परीक्षा मे निम्नलिखित विषयो के प्रश्न होगे जिनका स्तर इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष होगा। प्रवेश परीक्षा मे कुल 150 प्रश्न पूछे जायेगे जिनका विभाजन निम्नवत् होगा–

अ बी काम प्रवेश हेतु–

(क)	भाषा सम्बन्धी– अग्रजी (15 प्रश्न), हिन्दी (15 प्रश्न),	30 प्रश्न
(ख)	सामान्य ज्ञान	15 प्रश्न
(ग)	मानसिक योग्यता	30 प्रश्न
(घ)	वाणिज्य ज्ञान (जिसमे पुस्तपालन एव लेखाकर्म) (20 प्रश्न), व्यावसायिक सगठन (15 प्रश्न), अर्थशास्त्र (15 प्रश्न), अधिकोषण (15 प्रश्न), व्यावसायिक भूगोल (10 प्रश्न)	75 प्रश्न

ब बी0एस सी (कृषि) प्रवेश हेतु–

1	समान्य हिन्दी	10 प्रश्न
2	समान्य अग्रेजी	10 प्रश्न
3	शस्य विज्ञान	20 प्रश्न
4	पशुपालन	15 प्रश्न
5	रसायन विज्ञान	10 प्रश्न
6	भौतिक विज्ञान	15 प्रश्न
7	जन्तु विज्ञान	15 प्रश्न
8	वनस्पति विज्ञान	15 प्रश्न
9	कृषि अभियन्त्रण विज्ञान	15 प्रश्न
10	कृषि अर्थशास्त्र	15 प्रश्न
11	कृषि साख्यिकी	10 प्रश्न

स एम0काम, एम0ए0 (हिन्दी) एव एम0ए0 (अर्थशास्त्र) प्रवेश हेतु–

प्रवेश प्रदायी परीक्षा के प्राप्ताको (मेरिट बनाकर) के आधार पर नियमानुसार प्रवेश किये जायेगे।

1 प्रवेश परीक्षा मे कुल 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple choice objective question) पूछे जायेगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अक का होगा। उत्तर सही होने पर 3 अक दिये जायेगे तथा गलत होने पर 1 अक की कटौती की जायेगी।

2 भाषा छोडकर शेष सभी प्रश्न हिन्दी एव अग्रेजी दोनो भाषाओ मे होगे।

3 प्रश्न पुस्तिका के साथ ओ एम आर उत्तर पत्र (OMR Answar Sheet) दिये जायेगे जिस पर उत्तर अकित करना होगा केवल उत्तर पत्र का ही मूल्याकन होगा।

4 प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होगे जिनमे सही उत्तर का चुनाव कर उत्तर पत्र मे उस प्रश्न सख्या के सामने बने विकल्पो के गोलो मे से आप द्वारा चयनित विकल्प को काले बालपेन से भरना होगा।

उदाहरणार्थ

1 रेखाकित शब्द की शुद्व वर्तनी चुनिए

a सृखलाओ o

b शृखलाओ •

c सिरखलाओ o

d स्रखाओ o

उत्तर b

2 Select the word with the correct spelling

a Pschology o

b Shychology o

c Psychology •

d Psychlogy o

Answer c

नोट उपर्युक्त प्रश्न केवल उदाहरणार्थ है एव इसका वास्तविक प्रश्न से कोई सम्बन्ध नही है।

प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करने से पूर्व निम्नलिखित पर अवश्य ध्यान दे–

अर्हताः

बी0काम0 पाठ्यकम हेतु प्रवेशः

1 स्नातक वाणिज्य मे प्रवेश हेतु वर्ष 2016 या उसके बाद की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होगे। वर्ष 2019 मे इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा मे सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते है।

स्तानक कृषि पाठ्यकम हेतु प्रवेश.

1 स्नातक कृषि मे प्रवेश हेतु वर्ष 2016 या उसके बाद की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट विज्ञान (जीव विज्ञान/गणित) इण्टरमीडिएट कृषि परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होगे। वर्ष 2019 मे इण्टरमीडिएट विज्ञान (जीव विज्ञान/गणित) इण्टरमीडिएट कृषि या उसके समकक्ष परीक्षा मे सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते है।

एम0काम0 पाठ्यकम हेतु प्रवेश

1 स्नातकोत्तर वाणिज्य मे प्रवेश हेतु वर्ष 2016 या उसके बाद की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी0काम0) अथवा बी0ए0 (अर्थशास्त्र) परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होगे। वर्ष 2019 मे बी0काम0 सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते है। सामान्य एव अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी का अभ्यार्थियो का बी0काम0 स्तर पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक अको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के अभ्याथियो हेतु अक सम्बन्धी अनिवार्यता नही है।

एम0ए0 (हिन्दी) पाठ्यकम हेतु प्रवेशः

1 स्नातकोत्तर हिन्दी मे प्रवेश हेतु वर्ष 2016 या उसके बाद की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी0ए0) परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होगे। वर्ष 2019 मे बी0ए0 परीक्षा मे सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते है। सामान्य एव अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी का अभ्यार्थियो का बी0ए0 स्तर पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक अको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के अभ्याथियो हेतु अक सम्बन्धी अनिवार्यता नही है। साथ ही बी0ए0 तृतीय वर्ष मे हिन्दी विषय प्रत्येक अभ्याथियो हेतु अनिवार्य है।

एम0ए0 (अर्थशास्त्र) पाठ्यकम हेतु प्रवेशः

1 स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र मे प्रवेश हेतु वर्ष 2016 या उसके बाद की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी0ए0) अथवा (बी0काम0) परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होगे। वर्ष 2019 मे बी0ए0 परीक्षा मे सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते है। सामान्य एव अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी का अभ्यार्थियो का बी0ए0 स्तर पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक अको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के अभ्याथियो हेतु अक सम्बन्धी अनिवार्यता नही है। साथ ही बी0ए0 तृतीय वर्ष मे अर्थशास्त्र विषय प्रत्येक अभ्याथियो हेतु अनिवार्य है।

Dr. Md. Aslam Siddiqui
Dean, Faculty of Law

04/05/19
(Dr Deepak Babu)
Dean Student Welfare